


क्र.सं. व दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख
24/8 22	पत्रावली पेश हुई। आज वकील मण्डल द्वारा <u>उत्तर</u> करने से पत्रावली आयन्दा दिनांक 31/8/22 को पेश हो। <u>उत्तर</u> दिनांक	
31/8 22	<p>पत्रावली पेश पत्रावली का अवलोकन किया गया। दिनांक 23.5.22 को संशोधित अर्ज पेश हो चुके हैं व तलबके दिनांक 8.7.22 को पेश जो कि दिनांक 29.7.22 को प्रति 1/2 व 1/3 के अदम तकमील पेश वादी आधिकारिता को साही पत्र के साथ तलबाने पेश करने हेतु पत्रावली शुक्ल दिनांक जा चुका है। आज दिनांक भी आधिकारिता द्वारा साही पत्र हेतु समय चाहिए गया जो कि प्रायोगिक नहीं है। वाद का भार कर्ता पर होता है। वादी का कर्तव्य है कि संप्रभावधि में तलबाने पेश करें जिससे कि उसे भी जल्दी न्याय मिल सके एवं आवश्यक विलम्ब ना हो। पत्रावली में स्पष्ट है कि वादी स्वयं अपने स्वर से वाद चलाने हेतु रुचि नहीं ले रहा है। अतः पत्रावली अदम तकमील में खारिज की जानी है। पत्रावली नम्बर से क्रम हो फॉर्मल शुद्ध है।</p>	


 न्यायाधीश
 अदालत (महानगर)

